

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परिवेश	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9856/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
2.	11142/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
3.	11136/2023	1 (a)	गुना	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
4.	11137/2023	1 (a)	उज्जैन	मुरुम खदान	For ToR		स्वीकृत
5.	11125/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	11124/2023	1 (a)	धार	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
7.	11129/2023	1 (a)	धार	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
8.	11141/2023	1 (a)	इन्दौर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	For ToR		स्वीकृत
9.	11139/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
10.	11123/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
11.	11122/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
12.	11144/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
13.	11127/2023	1 (a)	खण्डवा	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
14.	11134/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

15.	11143/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
16.	11126/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
17.	11130/2023	1 (a)	बड़वानी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
18.	11145/2023	1 (a)	भोपाल	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	11132/2023	1 (a)	जबलपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
20.	11133/2023	1 (a)	जबलपुर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
21.	11135/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	For ToR	स्वीकृत
22.	11128/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
23.	11138/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
24.	11149/2023	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
25.	11146/2023	1 (a)	उमरियां	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Defer
26.	11058/2023	1 (a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
27.	11160/2023	1 (a)	धार	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
28.	11147/2023	1 (a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
29.	11162/2023	1 (a)	बालाघाट	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Defer
30.	11150/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
31.	11148/2023	1 (a)	अशोकनगर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
32.	11158/2023	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
33.	11165/2023	1 (a)	देवास	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
34.	11169/2023	1 (a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
35.	11168/2023	1 (a)	धार	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
36.	11166/2023	1 (a)	धार	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

Alsham
(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

Arjun
(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

37.	11167/2023	1 (a)	देवास	पत्थर एवं मुरुम खदान	For ToR	स्वीकृत
38.	11171/2023	1 (a)	नीमच	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
39.	11161/2023	1 (a)	इन्दौर	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
40.	11170/2023	1 (a)	देवास	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
41.	11173/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
42.	11163/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
43.	11153/2023	1 (a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
44.	11164/2023	1 (a)	शिवपुरी	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
45.	11172/2023	1 (a)	मंदसौर	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
46.	11159/2023	1 (a)	रायसेन	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
47.	8777/2021	1 (a)	देवास	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
48.	10442/2023	1 (a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
49.	9958/2023	1 (a)	बालाघाट	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
50.	553/2010	1 (a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
51.	268/2009	1 (a)	जबलपुर	लेटेराइट, बॉक्साइट, आयरन ऑर, मैंगनीशियम एवं क्ले खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
52.	1857/2014	1 (a)	कटनी	डोलोमाइट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
53.	756/2012	1 (a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
54.	9215/2022	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
55.	9649/2022	1 (a)	छतरपुर	रेत खदान	ToR हस्तांतरण	स्पष्टीकरण

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

56.	6774/2020	1 (a)	पन्ना	फर्शीपत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
57.	6627/2019	1 (a)	धार	चूनापत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
58.	7376/2020	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार	स्वीकृत
59.	7373/2020	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार	स्वीकृत
60.	733/2012	1 (a)	विदिशा	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार	स्वीकृत

1. प्रकरण क्र. 9856/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रविकांत अग्रवाल आत्मज श्री राम सहाय, निवासी अलूवावीरान, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 66पी, ग्राम अलूवावीरान, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) तथा SEAC की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र 1426 दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से दिनांक 30.06.2019 से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 29.06.2029 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेजर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

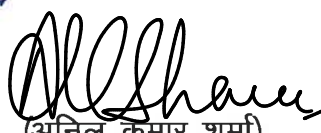
समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

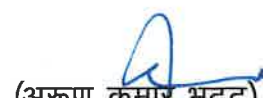
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 11142/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रताप सिंह सिसोदिया आत्मज श्री सरदार सिंह सिसोदिया, निवासी- 160, पेलीपंती बोलखेडा नाउ, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम माल्या, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का पत्र क्र 1360 - 61 दिनांक 07.07.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 06.07.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेजर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 11136/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पेन्द्र धाकड़ आत्मज श्री वीरेन्द्र धाकड़, निवासी-ग्राम डुंगासरा हांडा, तहसील व जिला गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10830 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 8/1, ग्राम मंगवार, तहसील गुना, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित नाले एवं कच्ची सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 11137/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री श्रवण कुमार चौधरी आत्मज श्री कैलाश चौधरी, निवासी- ग्राम खरसोदकलां, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 666, ग्राम बरडिया, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित धार्मिक स्थाल (मंदिर) से निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में दिख रहे व्हाइट स्पॉट के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित करें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 11125/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राधे प्रजापत आत्मज श्री अशोकलाल प्रजापत, निवासी-1, ए.बी. रोड़, 26 विजयनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 141, ग्राम यशवंतनगर, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यायलीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 11124/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री कमल चौधरी आत्मज श्री मांगीलाल चौधरी, निवासी-खण्डवा, तहसील व जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 166/5/4 पेकी, ग्राम कल्याणसीखेड़ी, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 11129/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री संगीता पाटीदार पत्नि श्री सुदामा पाटीदार, निवासी-ग्राम हैप्पी विला कॉलोनी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 265, ग्राम जमौदी, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 11141/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री चन्द्रशेखर पाटीदार आत्मज श्री शिवप्रसाद पाटीदार, निवासी— ग्राम तिल्लोड़खुर्द, तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15936 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा 86/1/3ख, ग्राम केवडिया, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 11139/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष पालीवाल आत्मज श्री रमेशचंद पालीवाल, निवासी—ग्राम ताजखेड़ा, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरुम 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 04, ग्राम खरवाकलां, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट—डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक—डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट—5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

10. प्रकरण क्र. 11123/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक खण्डेलवाल आत्मज श्री आर.पी. खण्डेलवाल, निवासी-कालीमाई संतर, मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2640 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.50 हेक्टेयर, खसरा 3717/2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 11122/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव शर्मा आत्मज श्री परमानंद शर्मा, निवासी-ग्राम बरगवां, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32765 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 3909/मिन-1, 3909/मिन-2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 11144/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मिरेंद्र गुप्ता आत्मज श्री जे.पी. गुप्ता, निवासी-18, श्रीकृष्ण कॉलोनी, पड़ाव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 3717/2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 11127/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नागिनचन्द्र बंसल आत्मज श्री कचरूमल बंसल, निवासी-रामकृष्णगंज, अनाज मंडी के पीछे, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.19 हेक्टेयर, खसरा 57/2/1, 57/2/2, 57/3, 84, ग्राम बीरपुर कुण्डेश्वर, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

14. प्रकरण क्र. 11134/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र पाटनी आत्मज धर्मचंद पाटनी, निवासी-105, गौतम मार्ग, नयापुरा, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 192, ग्राम जलालखेड़ी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

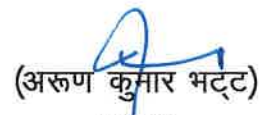
15. प्रकरण क्र. 11143/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स निर्भय स्टोन क्रेशर एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी, पार्टनर श्री आशीष कुमार तिवारी, निवासी- वार्ड नं. 37, शांतिनगर कॉलोनी, गली नं. 2, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 75538 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1143, ग्राम मोरवा, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रेमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 11126/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आरकॉन माईनिंग प्रा.लि. पार्टनर श्री तुषमुल झाँ, निवासी-फ्लैट नं. 101, विजेन्द्र विलास अपार्टमेन्ट, पटेल नगर ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.090 हेक्टेयर, खसरा 2627/मिन-1, 2630/मिन-2, 2630/मिन-3, 2632/मिन-2, 2633, 2634/मिन-2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 11130/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ओंकार यादव आत्मज श्री गोमाजी यादव, निवासी-55, जवाहर मार्ग, कालका माता मंदिर के पास, वार्ड नं. 14, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 101/1, 103/1, 105/1, 107/1/1, ग्राम लोनसरा बुजुर्ग, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

18. प्रकरण क्र. 11145/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर सुश्री त्रिचा सिंह, निवासी-4/1 मैनिट कैम्पस, नियर माता मंदिर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 339/222, ग्राम शाहपुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 11132/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश शर्मा आत्मज श्री सत्यनारायण शर्मा, निवासी- 226-ए, सेक्टर-सी, इन्द्रपुरी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4938 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 49, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 11133/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश शर्मा आत्मज श्री सत्यनारायण शर्मा, निवासी- 226-ए, सेक्टर-सी, इन्द्रपुरी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 37097 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.63 हेक्टेयर, खसरा 60, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र. 11135/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हनुमान माइनस एंड मिनरल्स प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री बलराम अग्रवाल, निवासी -212, अरिहन्त काम्पलेक्स, स्टेशन रोड, जिला रायपुर (छ.ग.)

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23790 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.41 हेक्टेयर, खसरा 105, ग्राम भटियाटोला, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. 11128/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रामकली आदिवासी पत्नि श्री मुन्ना आदिवासी, निवासी- ग्राम नयागांव, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा 948पी, ग्राम जखौदा, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वी बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. 11138/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सागर सिसोदिया पत्नि श्री बहादुर सिंह सिसोदिया, निवासी- ग्राम केसुनी, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.750 हेक्टेयर, खसरा 149, ग्राम चकजयरामपुर, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 742वीं बैठक दिनांक 26.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 11149/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री आनन्द जयसवाल आत्मज श्री रामनारायण जयसवाल, निवासी -117, महात्मा गांधी मार्ग, भीकनगांव जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5043 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 16/1, ग्राम अमनखेड़ी, तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 11146/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गुलाब गुप्ता आत्मज श्री महेश प्रसाद गुप्ता, निवासी- ग्राम - मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 542/1क, 543/1 ग्राम रक्शा, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

उक्त प्रकरण में बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व से ईको सेंसेटिव जोन की दूरी के संबंध में विस्तृत नोट तैयार कर प्राधिकरण के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अतः प्रकरण को Differ किया जाये।

26. प्रकरण क्र. 11058/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सामिद मोहम्मद आत्मज श्री आशिक मोहम्मद, निवासी -88, बहादुरपुर, भाग - 1, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 559/1/मिन-1, ग्राम तमाशा, तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर का पत्र क्र 516 दिनांक 27.09.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 26.09.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेजर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 11160/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र सिंह आत्मज स्व. श्री देवीसिंह पटेल, निवासी ग्राम - उज्जैनी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 30/2 पेकी, ग्राम उज्जैनी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का आदेश क्र 1922 दिनांक 23.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 22.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेजर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 11147/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री कृष्णकांत यादव आत्मज श्री गुलाब सिंह यादव, निवासी -21, मडी बुजुर्ग, तहसील - मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11970 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर,

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

खसरा 273/1/1/क/1, ग्राम बेलई, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर का आदेश क्र 316 दिनांक 05.05.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 04.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेजर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन गतिविधि शुरू करने से पहले हाईटेंशन लाईन से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

29. प्रकरण क्र. 11162/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार शर्मा, निवासी प्लैट नं. 902, 9 वां तल, ए विंग अकांक्षा बिल्डिंग, प्रेम नगर काम्पलेक्स, नित्यानंद नगर सेंट पॉल हाई. स्कूल, मीरा रोड ईस्ट थाणे (महाराष्ट्र) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 7985 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सबग्रेड 36510 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.016 हेक्टेयर, खसरा 8, 9/2, 9/3 भाग, ग्राम देवसर्गा, तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वनसीमा की अनापत्ति के संबंध में प्रस्तुत संभागीय आयुक्त जबलपुर की अनुशंसा का परीक्षण कर एवं समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कर विस्तृत नोट के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अतः प्रकरण को Differ किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 11150/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र सोंठी आत्मज श्री भागीरथ सिंह, निवासी ग्राम - रामडी, तहसील मकडोन, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 168, ग्राम गांधीनगर, तहसील मकडोन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्रं 13049-52 दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 02.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेशर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं नाले से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 22 वृक्षों में से काटे जाने वाले 17 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 170 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. 11148/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतिपाल पवार आत्मज श्री दिलीप सिंह पवार, निवासी वार्ड नं. 03, फूटाकुआं चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11761 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 669, ग्राम बडेरा, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

"4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 11158/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री बेणीराम पटेल आत्मज श्री प्रेमलाल पटेल, निवासी ग्राम- कतौरा, तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5225 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 125 पैकी, ग्राम बिजगोहन, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

★ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 743वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 743वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगोन का आदेश क्रं 991 दिनांक 19.12.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 18.12.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेजर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 11165/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र गौड़ आत्मज सौभाग सिंह गौड़, निवासी -05, राधागंज, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरुम 6480 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 896, ग्राम कलमा, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 11169/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स चितरंगी स्टोन वर्क्स, पार्टनर श्री नरेश प्रसाद गुप्ता, निवासी— शिव नगर कालोनी, पो. बिल्ली जिला सोनभद्र (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,20,284 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 225/1/2, 225/1/5, 225/1/1, 226/2, 230/1/1, 226/1, ग्राम पिपरावन, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

"4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

35. प्रकरण क्र. 11168/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश खरे आत्मज गम्मूलाल खरे, निवासी ग्राम— धन्नड़, तहसील — देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 20500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 1021, ग्राम खेड़ा, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

36. प्रकरण क्र. 11166/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रेहान खान आत्मज श्री मुस्ताक खान, निवासी ग्राम- सागोर, तहसील - धार, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 39900 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1021/1, ग्राम खेड़ा, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

37. प्रकरण क्र. 11167/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक गौड़ आत्मज श्री भगवान सिंह गौड़, निवासी - 05, राधागंज, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25507 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरुम 6720 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 896, ग्राम कलमा, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 11171/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मोतीलाल धाकड़ आत्मज श्री प्रभूलाल धाकड़, निवासी - वार्ड नं. 01, बिजासन माता मन्दिर, तहसील - सिंगोली, जिला नीमच, (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 1185/1, 1188, 1189, ग्राम फुसरिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

39. प्रकरण क्र. 11161/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री शमां खान आत्मज अब्दुल रहमान, निवासी -उरमेन रोड़, सागौर, नगर पालिका ऑफिस के पास, सागौर, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 37000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.642 हेक्टेयर, खसरा 33/1/4/3, ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

"4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

40. प्रकरण क्र. 11170/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मयंक सिकरवार आत्मज श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार, निवासी- 35, जी, बक्ताबर, रामनगर, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 24832 घनमीटर एवं ओबर बर्डन 12800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा 303, ग्राम देवपिपलिया, तहसील बागली, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

41. प्रकरण क्र. 11173/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती लता गुप्ता पत्नि स्व. श्री मोहनलाल गुप्ता, निवासी-18 श्री राम कुटीर कृष्णा कालोनी, तानसेन रोड़, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 3717/2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

42. प्रकरण क्र. 11163/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री तेजवन्त जैन आत्मज श्री कन्हैयालाल जैन, निवासी सुदामापुरी, मुरार, जिला ग्वालियर, (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 3717/2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

43. प्रकरण क्र. 11153/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्टोनेक्स इन्फ्रा, पार्टनर श्री रोहित शर्मा, निवासी – नर्मदा कालोनी, गांधी रोड़, मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 44782 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 3717/2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

44. प्रकरण क्र. 11164/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन केशर, पार्टनर श्री पवन कुमार जैन, निवासी –छतरी रोड़, प्रगति विला, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11020 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा 1722, 1725, 1726, ग्राम बमौर, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

45. प्रकरण क्र. 11172/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल साहू आत्मज श्री गंगाराम साहू निवासी ग्राम - कुचडोंद, तहसील व जिला मन्दसौर, (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 6300 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 36, ग्राम अरनियागुर्जर, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

"4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA....."

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

46. प्रकरण क्र. 11159/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह मातवा आत्मज श्री भगत सिंह मातवा, निवासी - 27, बस स्टैण्ड, ग्राम - खुडीकलां, तहसील नागौर, जिला नागौर (राजस्थान) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3424 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.087 हेक्टेयर, खसरा 638/1, ग्राम चांदना, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) तथा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायसेन का पत्र क्रं 99 दिनांक 13.01.2023 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 25.03.2017 से 24.03.2027 तक) की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 24.03.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

47. प्रकरण क्र. 8777/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह आत्मज श्री महिपाल सिंह बघेल, निवासी एम.जी. रोड, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50009 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.75 हेक्टेयर, खसरा 762, ग्राम अरनिया जागीर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 एवं 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

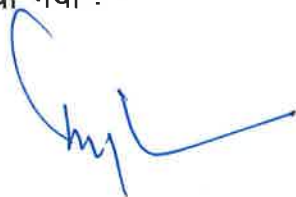
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 833वी बैठक दिनांक 22.02.2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत खदान क्षेत्र के समीप आबादी एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 14.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है एवं दिनांक 22.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार AMALTAS ENVIRO INDUSTRIAL CONSULTANTS के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अंशुल यादव प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक व उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा खदान क्षेत्र के पास स्थित आबादी एवं सड़क के संबंध में बताया गया कि उनके द्वारा बताया गया कि खदान क्षेत्र में ब्लारिंटिंग प्रस्तावित नहीं है तथा आबादी से 100 मीटर एवं पक्की सड़क से 100 मीटर की दूरी छोड़ते हुए ही खनन कार्य किया जायेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 608वी बैठक दिनांक 06.12.2022 एवं 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-



(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास का पत्र क्र. 1165 दिनांक 11.06.2021 एवं पत्र क्र. 1857 दिनांक 14.07.2021 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.06.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेशर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खदान के पास स्थित अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

48. प्रकरण क्र. 10442/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स माईना अभभूते, निवासी ग्राम — नाहईया, तहसील बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 11,191 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 51, ग्राम — नाहईया, तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ है, लीज क्षेत्र में केशर इकाई स्थापित है एवं लीज के समीप कट्टर ट्रेन्चेज परिलक्षित हैं। अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ दस्तावेज सहित प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में पाया गया कि स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक व उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंगे। तबतक प्रकरण को यथावत **Delist** रखा जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

49. प्रकरण क्र. 9958/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री चंदर स्टोन क्रेशर भण्डारण यूनिट, पार्टनर श्री सुधीर चौधरी / संजय गौतम, निवासी गली नं. 05, वार्ड नंबर 26, प्रेम नगर, तहसील-बालाघाट जिला-बालाघाट (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता (पत्थर- 30,001 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.173 हे0, खसरा क्रमांक 41पी, ग्राम भानपुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 840वी बैठक दिनांक 27.03.2024 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है जिसके संबंध में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा अपने लीज स्वीकृति आदेश दिनांक 03.01.2022 में खुदे हुए लीज क्षेत्र के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः कलेक्टर बालाघाट से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त लीज क्षेत्र में पूर्व में किससे द्वारा उत्खनन किया गया है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 11.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट का पत्र प्रेषित करते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 65 दिनांक 03.01.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रेशर लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर किया जावे।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 4.173 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 1.48 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

50. Proposal No. SIA/MP/MIN/465874/2024 प्रकरण क्रमांक 553/2010 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मन्जु सिंह लीगल हेयर स्व. श्री गोपाल शरण सिंह, पो. पुष्पराज नगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 23.90 हे. उत्पादन क्षमता 5,00,000 टन प्रतिवर्ष, एवं खसरा नं. 172पी, एवं 173पी, ग्राम रेवरा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एरो एसोसियेट्स, प्रो. श्री मनोज राय, निवासी- 01 पुष्पराज कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मन्जु सिंह लीगल हेयर स्व. श्री गोपाल शरण सिंह, पो. पुष्पराज नगर, जिला सतना (म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एरो एसोसियट्स, प्रो. श्री मनोज राय, निवासी- 01 पुष्पराज कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नहीं किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबंध में कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एरो एसोसियट्स, प्रो. श्री मनोज राय, निवासी- 01 पुष्पराज कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद- विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।
- III. एसईआईए द्वारा पत्र क्र 1144-45/SEIAA/2013 दिनांक 02.07.2013 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (वैधता अवधि 27.04.2021) की प्रति।
- IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- V. मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी Visting Order क. 4327 / 1122252 / 2023 / 12 / 1पार्ट दिनांक 11.09.2023 की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

पूर्व परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 02.07.2013 की वैधता दिनांक 27.04.2021 तक वैध मान्य रहेगी अंकित है, अतः उक्त पर्यावरण स्वीकृति की वैधता लगभग 03 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2016 के बिन्दु क्र. 9 के पैरा (iii) Where the application for extension under sub-paragraphs (i) and (ii) above has been filed-

- (a) within thirty days after the validity period of Environmental Clearance, such cases shall be referred to concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee and based on their recommendations, the delay shall be condoned at the level of the Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Member Secretary, State Level Expert Appraisal Committee or Member Secretary, District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be;
- (b) (b) more than thirty days after the validity period of Environmental Clearance but less than ninety days after such validity period, then, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, the delay shall be

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

*condoned with the approval of the Minister in charge of Environment, Forest and Climate Change or
Chairman, as the case may be :*

*Provided that no condonation for delay shall be granted for any application for extension filed beyond
ninety days after the validity period of Environmental Clearance."*

चूँकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित समयावधि में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु आवेदन नहीं किया गया है। अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरण को निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि परिवेश पोर्टल पर नवीन पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जायें। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

51. Proposal No. SIA/MP/MIN/463502/2024 प्रकरण क्रमांक 268/2009 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री इतिजार हुसैन, माहेश्वरी लाईम वर्क्स, बरगवां रोड़ कटनी म.प्र. द्वारा लैटेराइट, बाक्सॉइट, आयरन और मैंगनीशियम एवं क्ले खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 6.44 हे. उत्पादन क्षमता 80,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, ग्राम देवनगर, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा माइन्स एवं मिनरल्स प्रो. – श्री नितिन शर्मा, बंगाली क्लब मार्केट, करमचंद चौक, जिला जबलपुर म.प्र. के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री इतिजार हुसैन, माहेश्वरी लाईम वर्क्स, बरगवां रोड़ कटनी (म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा माइन्स एवं मिनरल्स प्रो. – श्री नितिन शर्मा, बंगाली क्लब मार्केट, करमचंद चौक, जिला जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नहीं किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबंध में कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा माइन्स एवं मिनरल्स प्रो. – श्री नितिन शर्मा, बंगाली क्लब मार्केट, करमचंद चौक, जिला जबलपुर (म.प्र.) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।
- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 1775-76/SEIAA/2012 दिनांक 20.12.2012 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (वैधता अवधि 19.03.2016) की प्रति।
- IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से हस्तांतरित अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- V. मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 4156/1429605/2023/12/1 दिनांक 28.08.2023 की प्रति।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

पूर्व परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 02.07.2013 की वैधता दिनांक 19.03.2016 तक वैध मान्य रहेगी अंकित है, अतः उक्त पर्यावरण स्वीकृति की वैधता लगभग 09 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2016 के बिन्दु क्र. 9 के पैरा (iii) Where the application for extension under sub-paragraphs (i) and (ii) above has been filed-

- (c) within thirty days after the validity period of Environmental Clearance, such cases shall be referred to concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee and based on their recommendations, the delay shall be condoned at the level of the Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Member Secretary, State Level Expert Appraisal Committee or Member Secretary, District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be;
- (d) (b) more than thirty days after the validity period of Environmental Clearance but less than ninety days after such validity period, then, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, the delay shall be condoned with the approval of the Minister in charge of Environment, Forest and Climate Change or Chairman, as the case may be :

Provided that no condonation for delay shall be granted for any application for extension filed beyond ninety days after the validity period of Environmental Clearance."

चूँकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित समयावधि में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु आवेदन नहीं किया गया है। अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरण को निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि परिवेश पोर्टल पर नवीन पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जायें। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

52. Proposal No. SIA/MP/MIN/463161/2024 प्रकरण क्रमांक 1857/2014 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उजाला मर्चेन्ट एण्ड ट्रेडर्स लि., कोहली फार्महाउस कैम्पस, नियर रपटा पेट्रोल पम्प, खिरनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 8.094 हे. उत्पादन क्षमता 2,50,000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 49पी, 51, 52पी, 53पी, 73पी, 81पी, 82पी, 83, 84पी, 85, ग्राम गुढ़ा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी, पार्टनर श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी- माई नदी, गोकुल धाम कॉलोनी, आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मुडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 846 वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में प्रकरण में दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उजाला मर्वेन्ट एण्ड ट्रेडर्स लि., कोहली फार्महाउस कैम्पस, नियर रपटा पेट्रोल पम्प, खिरनी, जिला कटनी (म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी, पार्टनर श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी— माई नदी, गोकुल धाम कॉलोनी, आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मुडवारा, जिला कटनी(म.प्र.)के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नहीं किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबंध में कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी, पार्टनर श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी— माई नदी, गोकुल धाम कॉलोनी, आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मुडवारा, जिला कटनी(म.प्र.)के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद- विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।
- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 9512/SEIAA/2015 दिनांक 18.12.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तारण आदेश क्र. 4439/1502544/2023/12/1 दिनांक 15.09.2023 (वैधता 13.05.2034 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी की पार्टनरशिप डीड ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदनुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन ADS एवं ई-मेल दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से प्रकरण में उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 838 वीं बैठक दिनांक 12.03.2024 में प्रकरण का प्रस्ताव क्र. 463161/2024 (प्रकरण क्रमांक 1857/2014) के स्थान पर त्रुटिवश 463335/2024 (प्रकरण क्रमांक 1875/2014) अंकित हो गया है। अतः प्रकरण का प्रस्ताव क्र. 463335/2024 प्रकरण क्रमांक 1875/2014 के स्थान पर 463161/2024 (प्रकरण क्रमांक 1857/2014) का पठन किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाइन प्रस्तुत पार्टनरशिप डीड मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी की नहीं है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी के नाम की पार्टनरशिप डीड परिवेश पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.05.2024 को चाही गई उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि मेसर्स उजाला मर्वेन्ट एण्ड ट्रेडर्स लि., कोहली फार्महाउस कैम्पस, नियर रपटा पेट्रोल पम्प, खिरनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 8.094 हे. उत्पादन क्षमता 2,50,000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 49पी, 51, 52पी, 53पी, 73पी, 81पी, 82पी, 83, 84पी, 85, ग्राम गुढ़ा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौरंग एग्रो एण्ड माईनिंग एलएलपी, पार्टनर श्री राधाकृष्ण अग्रवाल निवासी- माई नदी, गोकुल धाम कॉलोनी, आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मुडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.12.2015 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 4439/1502544/2023/12/1 दिनांक 15.09.2023 अनुसार वैधता 13.05.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

53. **Proposal No. SIA/MP/MIN/470212/2024** प्रकरण क्रमांक 756/2014 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे निवासी- सुभाषपुरम् कालोनी, टीकमगढ़ म.प्र. द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 4.00 हे. उत्पादन क्षमता 22,610 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 156, ग्राम परसूवा, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डिवाइन नेचुरल रिसोर्सेस प्रो. — श्री प्रणव जयसवाल, नगर भवन के सामने, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक अंशुल खरे निवासी— सुभाषपुरम् खरे कालोनी, टीकमगढ़ (म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डिवाइन नेचुरल रिसोर्सेस प्रो. — श्री प्रणव जयसवाल, नगर भवन के सामने, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नहीं किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबंध में कोई भी वाद—विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डिवाइन नेचुरल रिसोर्सेस प्रो. — श्री प्रणव जयसवाल, नगर भवन के सामने, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद— विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।
- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 2272/SEIAA/2014 दिनांक 25.11.2014 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1336 दिनांक 02.02.2024 (वैधता 15.02.2025 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि श्री अंशुल खरे निवासी— सुभाषपुरम् कालोनी, टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 4.00 हे. उत्पादन क्षमता 22,610 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 156, ग्राम परसूवा, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डिवाइन नेचुरल रिसोर्सेस प्रो. — श्री प्रणव जयसवाल, नगर भवन के सामने, तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 25.11.2014 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1336 दिनांक 02.02.2024 अनुसार वैधता 15.02.2025 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
- III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

54. **Proposal No. SIA/MP/MIN/472983/2024** प्रकरण क्रमांक 9215/2014 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री निलेश रघुवंशी आत्मज श्री विष्णु सिंह रघुवंशी, निवासी – पहाड़ सिंहपुरा, रघुवंशी पाथ, मंगल भवन, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 07, ग्राम मौमीनपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस. सप्लायर्स, प्रो. विकास पुलोरिया, निवासी राधावल्लभ मार्केट खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री निलेश रघुवंशी आत्मज श्री विष्णु सिंह रघुवंशी, निवासी – पहाड़ सिंहपुरा, रघुवंशी पाथ, मंगल भवन, जिला खरगौन (म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस.सप्लायर्स, प्रो. विकास पुलोरिया, निवासी राधावल्लभ मार्केट खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराइज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नहीं किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबंध में कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस.सप्लायर्स, प्रो. विकास पुलोरिया, निवासी राधावल्लभ मार्केट खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद— विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।
- III. एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 20.10.2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 30.10.2023 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 453 दिनांक 23.05.2023 (वैधता 15.03.2033 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि श्री निलेश रघुवंशी आत्मज श्री विष्णु सिंह रघुवंशी, निवासी — पहाड़ सिंहपुरा, रघुवंशी पाथ, मंगल भवन, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 07, ग्राम मौमीनपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस.सप्लायर्स, प्रो. विकास पुलोरिया, निवासी राधावल्लभ मार्केट खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.10.2022 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 553 दिनांक 23.05.2023 अनुसार वैधता 15.03.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
- III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

55. Proposal No. SIA/MP/MIN/470047/2024 प्रकरण क्रमांक 9649/2020 पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईनस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी 9 ए, पैरामांडट विला, अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 65000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 12.50 हेक्टेयर, खसरा 277/1, ग्राम हर्राई, तहसील चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) को जारी ToR का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलबीर सिंह तोमर, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईनस एंड मिनरल्स, पार्टनर, श्री हिमांशु मीणा, निवासी 9 ए, पैरामांडट विला, अंशल, श्यामला हिल्स, जिला भोपाल के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलबीर सिंह तोमर, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर ToR हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि ToR में निहित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नहीं किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबंध में कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।
- II. दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलबीर सिंह तोमर, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई ToR में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. एसईआईए द्वारा पत्र क्र 3053 दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से जारी ToR की प्रति।
- IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 943 दिनांक 03.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।
- V. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19-2-2019-बारह-1-पार्ट-6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

प्राधिकरण की 723वी बैठक दिनांक 13.05.2022 में ToR हस्तांतरण हेतु लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार बिन्दु क्र. 1 से 3 तक जानकारी जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में ToR हस्तांतरण हेतु विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

56. Proposal No. SIA/MP/MIN/469993/2024 प्रकरण क्रमांक 6774 / 2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री उत्तम सिंह आत्मज श्री बहादुर सिंह निवासी गडोखर तहसील अमानगंज जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.08 हेक्टेयर, खसरा 239, 242/2ख, ग्राम कैमुरियां, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी स्व. श्री उत्तम सिंह निवासी – गडोखर, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री उत्तम सिंह आत्मज श्री बहादुर सिंह निवासी गडोखर तहसील अमानगंज जिला पन्ना (म.प्र.) का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20.06.2021 की प्रति।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी स्व. श्री उत्तम सिंह निवासी – गडोखर, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।
- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 241-42 दिनांक 21.05.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 103 दिनांक 31.01.2022 (वैधता 19.11.2029 तक) की प्रति।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि श्री उत्तम सिंह आत्मज श्री बहादुर सिंह निवासी गडोखर तहसील अमानगंज जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.08 हेक्टेयर, खसरा 239, 242/2ख, ग्राम कैमुरियां, तहसील पवई, जिला पन्ना (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी स्व. श्री उत्तम सिंह निवासी - गडोखर, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21.05.2020 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 103 दिनांक 31.01.2022 अनुसार वैधता 19.11.2029 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
- III. नवीनपरियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

57. Proposal No. SIA/MP/MIN/470251/2024 प्रकरण क्रमांक 6627/2019 पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु सीमेन्ट प्रा.लि., 601/1, एरीन हाईट्स, स्कीम नं. 54, पीयू-3, सी-21 मॉल के पास, ए.बी. रोड़ जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा चूना पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 193150 टन प्रतिवर्ष, रकबा 21.080 हेक्टेयर, खसरा 9/1, 10, 13, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 37, 128, 134, ग्राम जीराबाद, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सागर सीमेन्ट (एम) प्रा.लि., 601/1, एरीन हाईट्स, स्कीम नं. 54, पीयू-3, सी-21 मॉल के पास, ए.बी. रोड़ जिला इन्दौर (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. म.प्र. खनिज साधन विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. 3843-44/3936/2021/12/2 दिनांक 11.08.2023 (वैधता 22.09.2020 से 22.09.2070 तक) की प्रति।
- II. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 4543-44 दिनांक 27.10.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना हस्तांतरण सक्षम प्राधिकारी (IBM) द्वारा पत्र दिनांक 11.10.2023 की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सतगुरु सीमेन्ट प्रा.लि., 601/1, एरीन हाईट्स, स्कीम नं. 54, पीयू-3, सी-21 मॉल के पास, ए.बी. रोड़ जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा चूना पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 193150 टन प्रतिवर्ष, रकबा 21.080 हेक्टेयर, खसरा 9/1, 10, 13, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 37, 128, 134, ग्राम जीराबाद, तहसील गंधवानी, जिला धार (म.प्र.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 4543-44 दिनांक 27.10.2020 की वैधता म.प्र. खनिज साधन विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. 3843-44/3936/2021/12/2 दिनांक 11.08.2023 अनुसार लीज की वैधता 22.09.2020 से 22.09.2070 तक की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

58. Proposal No. SIA/MP/MIN/468144/2024 प्रकरण क्रमांक 7376/2020 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन पाटनी आत्मज श्री प्रकाश चन्द्र पाटनी, निवासी- छोटा बाजार, उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,15,760 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 575/11, ग्राम कुण्डला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार हेतु आवेदन बावत्।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 10527 दिनांक 11.08.2023 (वैधता 08.08.2024 से 10 वर्ष तक) की प्रति।
- II. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2308-09 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन पाटनी आत्मज श्री प्रकाश चन्द्र पाटनी, निवासी- छोटा बाजार, उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) को पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,15,760 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 575/11, ग्राम कुण्डला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की जार पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 2308-09 दिनांक 18.10.2021 की वैधता संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 10527 दिनांक 11.08.2023 अनुसार दिनांक 08.08.2024 से 10 वर्ष तक विस्तार की गई है, अतः पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

59. Proposal No. SIA/MP/MIN/468029/2024 प्रकरण क्रमांक 7373/2020 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अश्विन मारु आत्मज श्री सतीश मारु, निवासी- छोटा बाजार, उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,01,809 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 575/11, ग्राम कुण्डला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार हेतु आवेदन बावत्।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 10523 दिनांक 11.08.2023 (वैधता 08.08.2024 से 10 वर्ष तक) की प्रति।
- II. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2302-03 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक श्री अश्विन मारु आत्मज श्री सतीश मारु, निवासी- छोटा बाजार, उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) को पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,01,809 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 575/11, ग्राम कुण्डला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की जार पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 2302-03 दिनांक 18.10.2021

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 853वीं बैठक दिनांक 22.05.2024
का कार्यवाही विवरण**

की वैधता संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का लीज नवीनीकरण आदेश क. 10523 दिनांक 11.08.2023 अनुसार दिनांक 08.08.2024 से 10 वर्ष तक विस्तार की गई है, अतः पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी ।

60. Proposal No. SIA/MP/MIN/468462/2024 प्रकरण क्रमांक 733/2012 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री वेंकटेश्वर सिंह रघुवंशी निवासी- रघुवंशी कृषि सेवा केन्द्र, आनंदपुर रोड़ जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 556, ग्राम काछीखेड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार हेतु आवेदन बावत् ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का लीज नवीनीकरण आदेश क. 617 दिनांक 20.02.2024 (वैधता 17.11.2024 से 16.11.2034 तक) की प्रति ।
- II. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 1425-26 दिनांक 21.10.2014 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति ।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 10.02.2024 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक श्री वेंकटेश्वर सिंह रघुवंशी निवासी- रघुवंशी कृषि सेवा केन्द्र, आनंदपुर रोड़ जिला विदिशा (म.प्र.) को पत्थर खदान (ओपनकास्ट मैकनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 556, ग्राम काछीखेड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1425-26 दिनांक 21.10.2014 की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) का लीज नवीनीकरण आदेश क. 617 दिनांक 20.02.2024 अनुसार दिनांक 17.11.2024 से 16.11.2034 तक विस्तारित की गई है, अतः पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी ।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष